हरियाणा माननीय शव निपटान विधेयक 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हरियाणा कैबिनेट ने एक मसौदा विधेयक को मंज़ूरी दी,**जिसमें किसी मृत व्यक्ति के शरीर के साथ किसी भी विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाने का प्रावधान है।**

मुख्य बिंदु:

- एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इस **ऐतिहासिक विधेयक का उद्देश्य मृतकों का सभ्य और समय पर अंतिम संस्कार सुनिश्चित करना है।**
- किसी मृत व्यक्ति के प्रति सम्मान और प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए,**किसी को भी मृत शरीर का समय पर अंतिम संस्कार न करके किसी भी विरोध या आंदोलन के माध्यम से कोई भी मांग उठाने या किसी भी मांग को आगे बढ़ाने का प्रलोभन देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।**
- किसी भी व्यक्ति को किसी भी रूप में **किसी निकाय को विरोध या प्रदर्शन के साधन के रूप में उपयोग करने से रोकना आवश्यक है।**
    - प्रस्तावित कानून उन मामलों में **सार्वजनिक अधिकारियों की ज़िम्मेदारी पर भी जोर देता है** जहाँ **परिवार के सदस्य किसी शव को अस्वीकार कर देते हैं,** जिससे उचित अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया जाता है।
- यह ध्यान रखना उचित है कि भारत के संविधान **के** अनुच्छेद 21 के अनुसार, गरिमा और उचित व्यवहार का अधिकार न केवल जीवित व्यक्ति को बल्कि उसकी मृत्यु के बाद उसके शरीर को भी मिलता है।
- राज्य मंत्रिमंडल ने विदेश जाने के इच्छुक निर्दोष लोगों को धोखा देने वाले**ट्रैवल एजेंटों पर लगाम लगाने के लिये एक और मसौदा विधेयक 'हरियाणा ट्रैवल एजेंट पंजीकरण और विनियमन विधेयक 2024'** को भी मंज़ूरी दे दी है।
    - मसौदा विधेयक में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अधिनियम के तहत पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त किये बिना ट्रैवल एजेंट का पेशा नहीं अपना सकता है।
    - सक्षम प्राधिकारी **आपराधिक गतिविधियों और शर्तों के उल्लंघन के आधार पर पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द कर सकता है।**
    - रद्द किया गया पंजीकरण ट्रैवल एजेंट को एक निर्धारित अवधि के लिये पेशे से वंचित कर देगा।
    - मानव तस्करी **या जाली दस्तावेज़** बनाने में शामिल व्यक्तियों को **10 वर्ष तक की कैद और 2 से 5 लाख रुपए तक का ज़ुर्माना हो सकता है।**
- हरियाणा सरकार अपने नागरिकों को अवैध आप्रवासन घोटालों का शिकार होने से बचाने के लिये प्रतिबद्ध है।
    - प्रस्तावित कानून **ट्रैवल एजेंटों को विनियमित करने,** आप्रवासन **से संबंधित सेवाओं में** पारदर्शिता, वैधता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये एक सक्रिय दृष्टिकोण को दर्शाता है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/honourable-disposal-of-dead-body-bill-2024